“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिलाल पिता श्री छना दिता पटेल, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 14/ए, क्रॉस स्ट्रीट 01, सेक्टर 01, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती कलीबेन (Kali Ben) पति श्री हरिलाल (Harilal) त्रुटिवश दर्ज हो गया है जबकि मेरी पत्नी के पेन कार्ड में उसका नाम श्रीमती कोलीबेन एच. खलासी दर्ज है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कोलीबेन एच. खलासी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पत्नी को श्रीमती कोलीबेन एच. खलासी पति श्री हरिलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कलीबेन पति- श्री हरिलाल निवासी-क्वाटर नं. 14/ए, क्रॉस स्ट्रीट 01, सेक्टर 01, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिनकोड- 490001	कोलीबेन एच. खलासी पति- श्री हरिलाल निवासी-क्वाटर नं. 14/ए, क्रॉस स्ट्रीट 01, सेक्टर 01, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिनकोड- 490001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar) पिता श्री एस. एम. भावेते (Shri S.M. Bhowate) उम्र 47 वर्ष, निवासी-36/बी, "सी" पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के रिकार्ड, हायर सेकेन्डरी मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार दर्ज है एवं मेरे ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड में मेरा नाम जितेन्द्र एस. भोवते दर्ज है व स्टेट बैंक के खाता, एल. आई. सी. पालिसी, बी. एस. पी. लीज हाउस में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार भोवते दर्ज है व आंध्रा बैंक खाता व एल. आई. सी. पालिसी में मेरा नाम जितेन्द्र भोवते दर्ज है एवं मेरे जाति प्रमाण पत्र में मेरा नाम जितेन्द्र सारंगधर भोवते दर्ज है तथा मेरे वोटर आई डी कार्ड/परिचय पत्र में मेरा नाम जितेन्द्र दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जितेन्द्र कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar) पिता श्री एस. एम. भोवते के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar)
जितेन्द्र एस. भोवते (Jitendra S. Bhowate)
जितेन्द्र भोवते (Jitendra Bhowate)
जितेन्द्र कुमार भोवते (Jitendra Kumar Bhowate)
जितेन्द्र सारंगधर भोवते (Jitendra Sarangdhar Bhowate)
जितेन्द्र (Jitendra)
पिता- श्री एस. एम. भोवते (Shri S. M. Bhowate)
निवासी-क्वा. नं. 36-बी, "सी" पाकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar)
पिता- श्री एस. एम. भोवते (Shri S. M. Bhowate)
निवासी-क्वा. नं. 36-बी, "सी" पाकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश नारायण मौर्य पिता स्व. श्री सत्यनारायण मौर्य, उम्र 43 वर्ष, निवासी-गुलाब नगर मोपका, सीपत रोड, पोस्ट मोपका थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का नाम जीत मौर्य (Jeet Maurya) है जो कि उसके सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. वर्तमान में मेरे पुत्र डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार कालोनी बिलासपुर में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अभिजीत मौर्य (Abhijeet Maurya) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को अभिजीत मौर्य पिता श्री प्रकाश नारायण मौर्य के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जीत मौर्य
पिता श्री प्रकाश नारायण मौर्य
निवासी-गुलाब नगर, मोपका, सीपत रोड,
बिलासपुर (छ. ग.)
पिन- 495006

नया नाम

अभिजीत मौर्य
पिता श्री प्रकाश नारायण मौर्य
निवासी-गुलाब नगर, मोपका, सीपत रोड,
बिलासपुर (छ. ग.)
पिन- 495006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री दुष्यंत कुमार साहू, उम्र 51 वर्ष, जाति तेली, निवासी-मकान नं. 556/24, मिल पारा, कचहरी वार्ड क्र. 29, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पश्चात् मैं श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री दुष्यंत कुमार साहू के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती हूं. मेरे पति श्री दुष्यंत कुमार साहू जिला कलेक्टोरेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके विभागीय अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका आदि में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती पुनिया बाई दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पूर्णिमा साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री दुष्यंत कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती पुनिया बाई
पति- श्री दुष्यंत कुमार साहू
निवासी-मकान नं. 556/24, मिल पारा,
कचहरी वार्ड क्र. 29 दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती पूर्णिमा साहू
पति- श्री दुष्यंत कुमार साहू
निवासी-मकान नं. 556/24, मिल पारा,
कचहरी वार्ड क्र. 29 दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दमयंती बाई साहू पति श्री रूपलाल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट पुरई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री रूपलाल साहू के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दमयंती बाई दर्ज है तथा मेरे नाम जारी मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम दमयंती बाई साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दमयंती बाई साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे दमयंती बाई साहू पति श्री रूपलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दमयंती बाई
पति श्री रूपलाल साहू
निवासी-ग्राम व पोस्ट पुरई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दमयंती बाई साहू
पति श्री रूपलाल साहू
निवासी-ग्राम व पोस्ट पुरई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शोऐब अहमद खान पिता स्व. हाफिज मोहम्मद अनवर खान, उम्र 55 वर्ष, निवासी-न्यू शांति नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मेरा नाम सुयेब अहमद खान था. मैं अपना नाम सुयेब अहमद खान को परिवर्तित कर नया नाम शोऐब अहमद खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शोऐब अहमद खान पिता स्व. हाफिज मोहम्मद अनवर खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुयेब अहमद खान
पिता- स्व. हाफिज मोहम्मद अनवर खान
निवासी-मकान नं. 27/630, न्यू शांति नगर,
पर्ल होस्टल के बाजू, ओल्ड पाइप फैक्ट्री रोड,
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

शोऐब अहमद खान
पिता- स्व. हाफिज मोहम्मद अनवर खान
निवासी-मकान नं. 27/630, न्यू शांति नगर,
पर्ल होस्टल के बाजू, ओल्ड पाइप फैक्ट्री रोड,
रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेनु वर्मा पति श्री अशोक कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी- जिन्दलगढ़ पतरापाली रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) की हूं. यह कि शैलजा रोहिला मेरी पुत्री है जिनकी जन्मतिथि 29-3-1998 है तथा वह ओ. पी. जिन्दल स्कूल रायगढ़ में अध्ययनरत है. मेरी पुत्री के अंकसूचियों एवं अन्य दस्तावेजों में माता के नाम के स्थान पर मेरा नाम रेनू रोहिला दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रेनु वर्मा (Renu Verma) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे रेनु वर्मा (Renu Verma) पति श्री अशोक कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रेनू रोहिला
पति श्री अशोक कुमार
निवासी-जिन्दलगढ़ पतरापाली रायगढ़
तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.)

नया नाम

रेनु वर्मा
पति श्री अशोक कुमार
निवासी-जिन्दलगढ़ पतरापाली रायगढ़
तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/598 .—कनेश्वर प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. कनेकेरा विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 591 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2172 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत कनेश्वर प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. कनेकेरा विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 591 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मो. इश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/599 .—प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. गडबेडा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 533 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2171 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. गडबेडा, विकासखण्ड पिथौरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 533 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री रवि मिश्रा, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/600 .—महाकाल मदिरा सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 616 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2170 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्टार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत महाकाल मदिरा सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 616 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री रवि मिश्रा, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/601 .—जय माँ खल्लारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. आमाकोनी, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 555 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2176 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय माँ खल्लारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. आमाकोनी, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 555 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/602 .—जय दुर्गा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. लमकेनी विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 594 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2168 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय दुर्गा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. लमकेनी विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 594 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/603 .—जय पतईमाता सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. तेन्दूवाही, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 593 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2169 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय पतईमाता सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. तेन्दूवाही, विकास खण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 593 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मो. इश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/604 .—सांई कृपा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. परसदा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 589 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2173 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत सांई कृपा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. परसदा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 589 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मो. इश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/605 .—प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. मुनगासेर, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 601 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2174 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. मुनगासेर, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 601 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मो. इश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/606 .—जय मुंगई माता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. छिंदौली विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 596 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2175 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय मुंगई माता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. छिंदौली विकासखण्ड महासमुन्द, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 596 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मो. इश्हाक, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/उप.पं.म./परि/2015/607 .—वेंकटेश्वर महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार हाडाबंद, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 590 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/2177 दिनांक 26-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत वेंकटेश्वर महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार हाडाबंद, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला महासमुन्द, पं. क्र. 596 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. के. बारा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

एस. के. तिग्गा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/515 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा जय मां सती सहकारी समिति मर्या. कोटतरा पंजीयन क्र. 556 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूॅ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री टी. एस. कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/516 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा बस्तर कृषि विकास सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 357 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूॅ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/517 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा पंडित दीनदयाल सहकारी समिति मर्या. चारामा पंजीयन क्र. 549 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री टी. एस. कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/518 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा उज्जवल विकास सहकारी समिति मर्या. संगम पंजीयन क्र. 547 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/519 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा युवा विकास सहकारी समिति मर्या. पी. व्ही. 42 पंजीयन क्र. 392 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/520 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा युवा ग्रामीण विकास सहकारी समिति मर्या. मानिकपुर पंजीयन क्र. 532 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कोंडोपी, स. वि. अ. नरहरपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/521 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चारामा पंजीयन क्र. 552 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री टी. एस. कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/522 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. आमापारा कांकेर पंजीयन क्र. 506 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/523 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अण्डी पंजीयन क्र. 551 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/524 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा गोडवाना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पोटगांव पंजीयन क्र. 546 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/525 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा गोडवाना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पाडेंगा पंजीयन क्र. 504 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03/03 दिनांक 4-5-2012 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/526 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236 दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बाबूदबेना पंजीयन क्र. 563 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/527 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोहपुर पंजीयन क्र. 544 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/528 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/259 दिनांक 25-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा विजय विकास सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 479 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/529 .—अध्यक्ष खनिकर्म आदिवासी सहकारी समिति मर्या. भोडिया द्वारा दिनांक 10-11-2014 के संचालक मंडल की बैठक की कार्यवाही प्रेषित कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की मांग की गई. कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/381 दिनांक 01-06-2015 के द्वारा खनिकर्म आदिवासी सहकारी समिति मर्या. भोड़िया पंजीयन क्र. 248 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4-5-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री कोमल हुपेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीयन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.